Anne

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H98837/सी–5/ 113/OAN. 896/22/23 दिनांक 3-8-23

To,

The Registrar General,
Principal Banch,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: **Regrading action taken report in O.A. No. 896/2022 In Re: Laxman Balyogi Versus State of Uttar Pradesh & Ors. order dated 26.04.2023.**

Sir,

In compliance to the order dated 26.04.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 896/2022 In Re: Laxman Balyogi Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the action taken report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Member Secretary, UPPCB, Lucknow.
2. District Magistrate, Lucknow.
3. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
4. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
5. Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Action Taken Report on behalf of UPPCB in compliance to the order dated 26.04.2023 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in Original Application No. 896/2022 In Re: Laxman Balyogi Versus State of Uttar Pradesh & others.

Hon'ble NGT, New Delhi vide its order dated 26.04.2023 in Original Application No. 896/2022, Laxman Balyogi Versus State of Uttar Pradesh & others has passed the following directions:-

"………6. From the above, it is seen that the project is being developed in violation of Water and Air Acts. There is also nothing to show compliance of EIA Notification dated 14.09.2006. It is also not clear as to what is the source for water during the construction as well as during operation. Thus, there is need to forthwith stop the projects till compliance and fix accountability for past violations. Necessary remedial measures be taken to ensure proper sewerage network terminating to a STP, catering to the entire area and setting up of modular/decentralized STPs so as to prevent discharge of sewage into the drains. No further construction be allowed to take place and no further third-party rights created till further orders. An action taken report may be filed jointly by SEIAA, UP, State PCB and District Magistrate, Lucknow within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The State PCB may also put the PP to notice of these proceedings to enable them to file their response, if any, before the next date. …….."

That with most respectfully in pursuance to the order dated 26.04.2023 the action taken report is as under;

1. The Joint Committee has inspected the M/s Dream Green City Phase –I, Khasarwara, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road,

Lucknow (UP) and M/S Dream Green City Phase–II, Dhawapur, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP), on dated-12-06-2023. **(Joint Committee Inspection Report is Enclosed As Annexure-1)**

2. Environmental Compensation (EC) Rs. 17,81,250/- has been imposed against the unit M/s A.K. Infra & Realty Developers Pvt. Ltd, Flat No-2, Sana Palace-2, Opp. Saharaganj Mall, Hazratganj, Lucknow UP on behaf of M/s Dream Green City (Phase-I), Gata no. 88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109a and 110 Village- Khasarwara, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow vide letter no. H 98733/C-5/L/jal-444/23 dated 01.08.2023 by UPPCB and closer order/direction also has been issued under section- 33 'A' of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by vide letter no. H 98734/C-5/L/jal-444/23 dated 01.08.2023 to the unit for stop the construction activity. **(Letter Enclosed as Annexure-2 & 3)**
3. Environmental Compensation (EC) Rs. 17,81,250/- has been imposed against the unit M/s A.K. Infra & Realty Developers Pvt. Ltd, Flat No-2, Sana Palace-2, Opp. Saharaganj Mall, Hazratganj, Lucknow UP on behaf of M/s Dream Green City (Phase-II), Gata no. 1/1,2,3, 5sa, 1sa, 93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175, 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238, 242kha, 244ka, 323kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi, Village- Dhawapur, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow vide letter no. H 98732/C-5/L/jal-445/23 dated 01.08.2023 by UPPCB and closer order/direction also has been issued under section- 33 'A' of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 by vide letter no. H 98735/C-5/L/jal-445/23 dated 01.08.2023 to the unit for stop the construction activity. **(Letter Enclosed as Annexure-4 & 5)**

4. In compliance of above Hon'ble NGT order a letter has been sent to Director, U.P. Ground Water Department Lucknow vide letter no. H 98736/C-5/113/OA no.896/22/23 dated 01.08.2023 and vide letter no. H 98789/C-5/113/OA no.896/22/23 dated 02.08.2023 by UPPCB for necessary action. **(Letter Enclosed as Annexure-6 & 7)**
5. Copy of vide order dated 26.04.2023 sent to PP vide letter dated 29.04.2023 by UPPCB.**(As Annexure-8)**

It is humbly submitted that in the light of above facts it is relevant to mention here that UPPCB has performed its statutory duty by taking suitable action against the defaulters unit.

Therefore, the action taken report of the UPPCB is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow
Dated

Yours' Sincerely

03/8/2023

(Dr. Ram Karan)

Chief Environment Officer (Circle-5)
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow

Annexure-1

Joint Inspection Report

(12-06-2023)

Of

M/s Dream Green City Phase –I, Khasarwara, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP)-226401 and Dream Green City Phase–II, Dhawapur, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP)-226401

Laxman Balyogi V/s State of Uttar Pradesh

(O.A. no 896/2022)

Prepared by

The joint committee of Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) Lucknow, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Lucknow, and District Administration, Lucknow.

Constituted by

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 26th April, 2023)

Contents

1-Background

2-Observations

3-Present case status:-

4-Conclusions and Recommendations

5-Photogallery

6-Inspection Team

Joint Inspection Report of M/s Dream Green City Phase –I, Khasarwara, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP)-226401 and Dream Green City Phase–II, Dhawapur, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP),Compliance of Direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in case of O.A. No. 896/2022 Laxman Balyogi V/s State of Uttar Pradesh Reg.

1- Background:-

Hon'ble NGT, New Delhi vide order dated 20-02-2023 in the matter of O.A. No. 896/2022, Laxman Balyogi V/s State of Uttar Pradesh had directed following-

Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. No. 896/2022 Laxman Balyogi V/s State of Uttar Pradesh has passed vide order dated 20-02-2023. The main content of the order are as follows:-

"………3. Grievance is that real estate project is being developed in the name of Dream Green City Phase –I, Khasarwara, Banthara, Mohanlalganj, Kanpur Road, Lucknow (UP)-226401 and Dream Green City Phase–II, Dhawapur, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP)-226401 by real estate developers Shri Nadim Abdul Hasan Mohd. Nayab Khalida Ajij and M/s A.K. Infrra & Realty Developers Pvt. Ltd, Flat No-2, Sana Palace-2, Opp. Saharaganj mall, hazratganj, Lucknow UP. It is a big township running over 150 acres and for the said purpose they are cutting about 5000 old trees, in utter violation of environmental lows, without any requisite clearance etc. causing damage to environment and putting human and animal life in danger. It is said that some trees have already been cut and rest are in the process of cutting.

4. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Forest Officer, Lucknow and District Magistrate Lucknow who shall look into the complaint, visit the site, collect relevant information and submit a factual and action taken, if any, report within two months.

5. We also direct the said Committee that in case it finds that the tree cutting activities are going on without requisite clearance / permission from the Competent Authorities, the joint Committee shall take appropriate action for stopping further cutting of trees by the Proponent without any further delay.

6. District Magistrate Lucknow shall be the nodal agency for coordination and compliance.

7. The report shall be submitted by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF……"

In compliance to the aforesaid direction of Hon'ble NGT, a Joint Committee comprising:-

1- District Forest Officer, Awadh Forest Department.
2- Additional District Magistrate (E), Lucknow.
3- Assistant Environmental Engineer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

The Joint Committee has inspected the M/s Dream Green City Phase –I, Khasarwara, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP) and M/S Dream Green City Phase–II, Dhawapur, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP), on dated- 11-04-2023.The of inspection report Annexed as **Annexure-1.**

2- Present case status:-

Further Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. No. 896/2022 Laxman Balyogi V/s State of Uttar Pradesh has passed vide order dated 26-04-2023. The main content of the order are as follows:-

"………6. From the above, it is seen that the project is being developed in violation of Water and Air Acts. There is also nothing to show compliance of EIA Notification dated 14.09.2006. It is also not clear as to what is the source for water during the construction as well as during operation. Thus, there is need to forthwith stop the projects till compliance and fix accountability for past violations. Necessary remedial measures be taken to ensure proper sewerage network terminating to a STP, catering to the entire area and setting up of modular/decentralized STPs so as to prevent discharge of sewage into the drains. No further construction be allowed to take place and no further third-party rights created till further orders. An action taken report may be filed jointly by SEIAA, UP, State PCB and District Magistrate, Lucknow within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The State PCB may also put the PP to notice of these proceedings to enable them to file their response, if any, before the next date. ……."

In compliance to the aforesaid direction of Hon'ble NGT, a Joint Committee comprising:-

1- Additional District Magistrate (E), Lucknow.
2- Member, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Lucknow.
3- Assistant Environmental Engineer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

The Joint Committee has inspected the M/s Dream Green City Phase –I, Khasarwara, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP) and M/S Dream Green City Phase–II, Dhawapur, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP), on dated- 12-06-2023.The details of findings of inspection are mentioned below-

3- Observations:-

Observation found during Joint Inspection on dated 12-06-2023

1. M/s Dream Green City (Phase-I) is situated at Gata Number-88,89,94,97,98,99,104/2, 106,109a, & 110 Village- Khasarwara, Tehsil-Sarojini Nagar, District-Lucknow, which Total Area of **5.391** Hectare.
2. The M/s Dream Green City (Phase-II) is situated at Gata Number-1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi,Village- Dhawapur, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow, which Total Area of **9.6092** Hectare.
3. M/s Dream Green City (Phase-I), Village- Khasarwara, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow and M/s Dream Green City (Phase-II), Village- Dhawapur, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow developed by M/s A.K. Infrra & Realty Developers Pvt. Ltd, Flat No-2, Sana Palace-2, Opp. Saharaganj mall, hazratganj, Lucknow UP.
4. At the time of inspection, in M/s Dream Green City (Phase-I), Village-Khasarwara, Tehsil-Sarojini Nagar, District-Lucknow, out of total 231 residential plots, houses were found built on about 70 plots in which people are living. . The domestic effluent generated from the above is disposed of through septic tank/soakpit whose overflow finally joins the nearby drain. The drain ultimately join in the River Sai after approximate 4.0 KM distance.
5. At the time of inspection, in M/s Dream Green City (Phase-II), Village-Dhawapur, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow out of total 400 residential plots, houses were found built on about 300 plots in which people are living. The domestic effluent generated from the above is disposed of through septic tank/soak pit whose overflow finally joins the nearby drain. The drain ultimately join in the River Sai after approximate 5.0 KM distance.
6. According to the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS New Delhi Notification dated 14th September 2006, due to the development area of said both independent projects being less than 50 hectares, there is exempt from obtaining environmental clearance from SEIAA.
7. It was informed by the representative of the said residential project that only the residential area has been developed by them, no construction work has been

done by them. The houses have been constructed personally by the purchaser of the said residential plots. Ground water has been used in the construction of houses and houses have been constructed individually using their submersible pump, in which water has been used from about 1 KLD to 2 KLD.

8. During the inspection Project Proponent has not installed STP for treatment of Domestic effluent. Project Proponent has orally told about the proposal for STP at the time of inspection, the work of digging pit for STP was started before reaching at site but no previous activities were found related to STP installation.
9. No sewer line were found in and around the site for drainage facility to the residents. Only one row of the area were having plantation but rest of the area were empty (No plantation).
10. Above unit has not obtained Consent to Establishment and Consent to Operate from the state board in compliance with the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
11. Show cause notice has been issued regarding imposition of EC against the PP (M/s A.K. Infrra & Realty Developers Pvt. Ltd, Flat No-2, Sana Palace-2, Opp. Saharaganj mall, hazratganj, Lucknow UP on behaf of M/s Dream Green City (Phase-I), Village- Khasarwara, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow and M/s Dream Green City (Phase-II), Village- Dhawapur, Tehsil- Sarojini Nagar, District-Lucknow) on dated 24.04.2023 by UPPCB for in the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

4- Conclusions and Recommendations:-

1. The Project Proponent must ensure the installation of STP of appropriate capacity.
2. The unit must obtain Consent to Operate from the state board in compliance with the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

5- Photo gallery:-

Photographs taken during inspection of the M/s Dream Green City Phase –I, Khasarwara, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP) and M/S Dream Green City Phase–II, Dhawapur, Banthara, Mohanlalganj Kanpur Road, Lucknow (UP) on dated 12-06-202

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

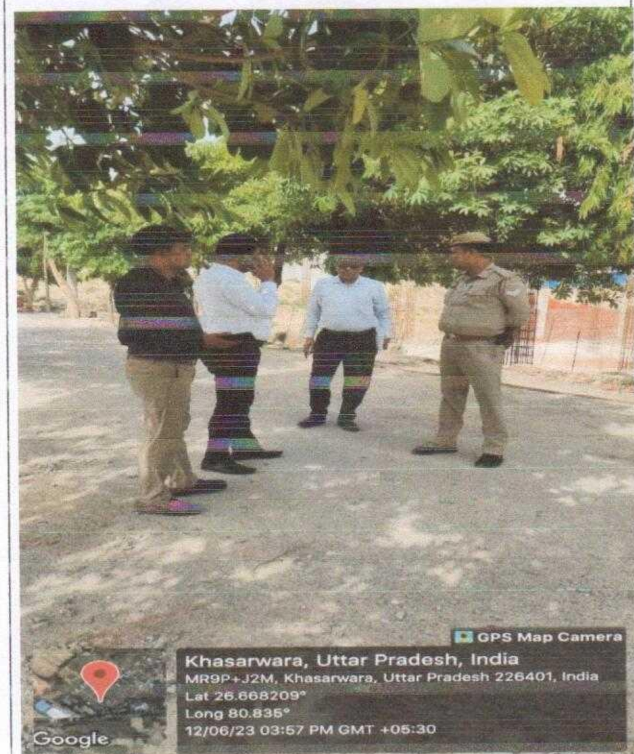

Photo 5

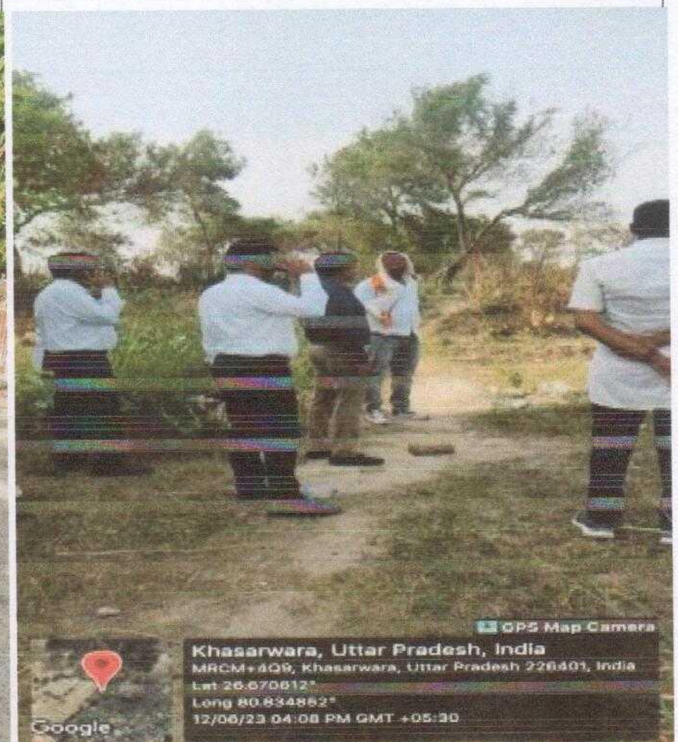

Photo 6

Photo 7

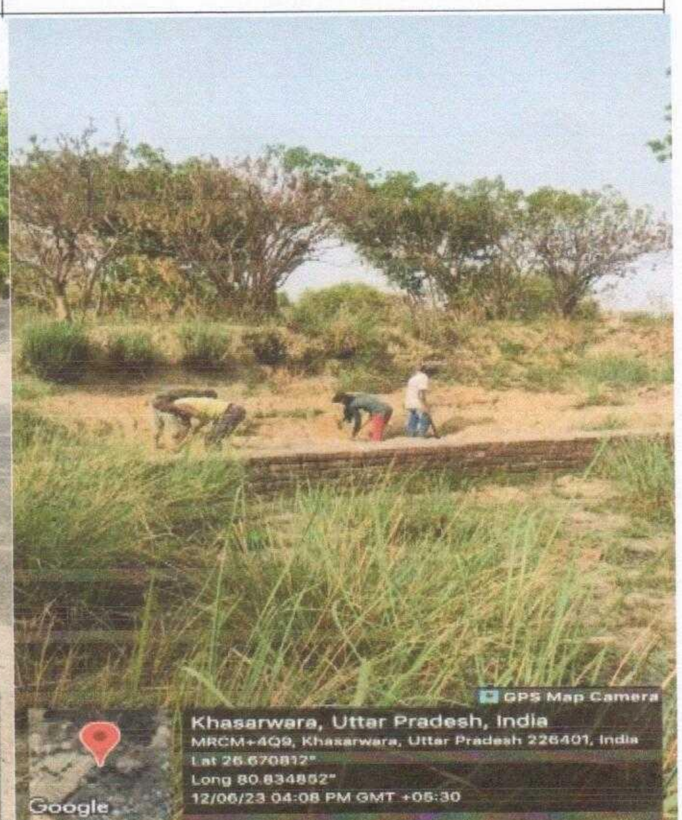

Photo 8

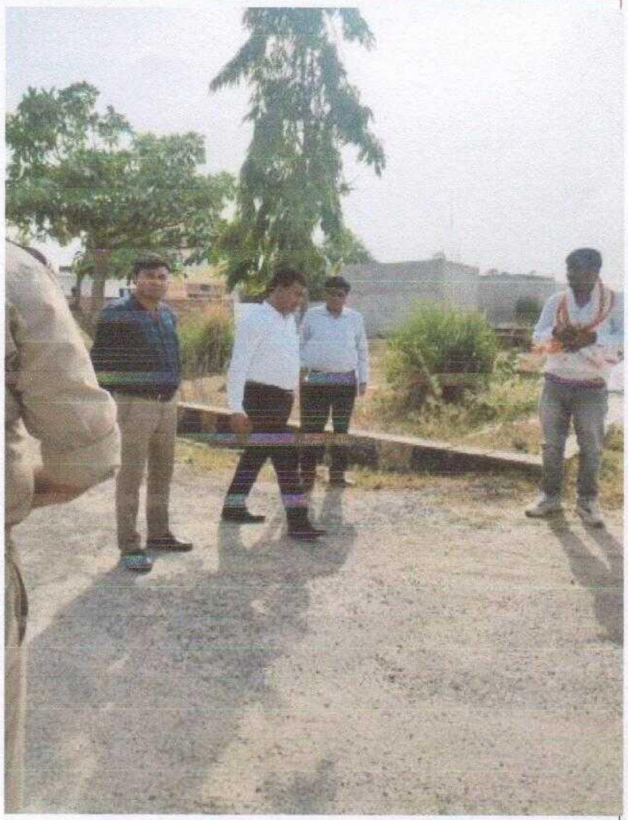	
Photo 9	**Photo 10**
	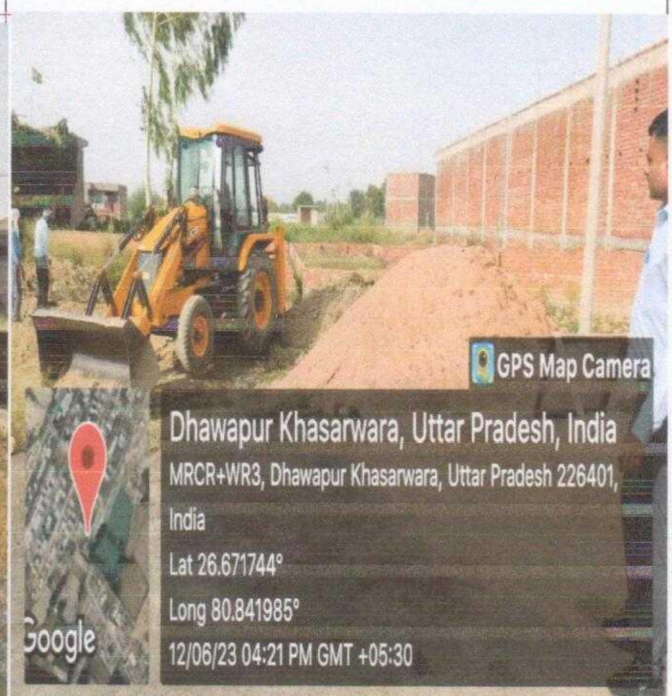
Photo 11	**Photo 12**

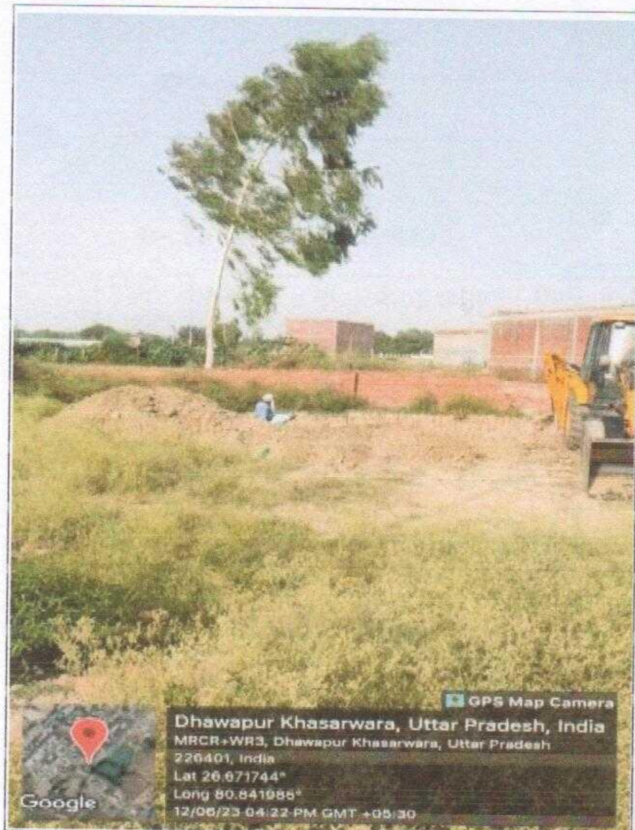

Photo 13

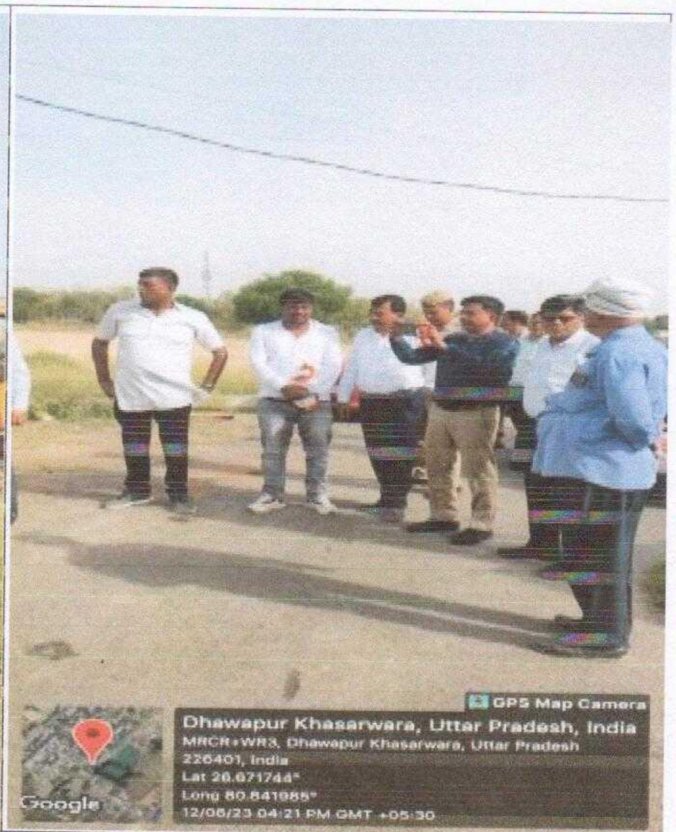

Photo 14

Photo 15

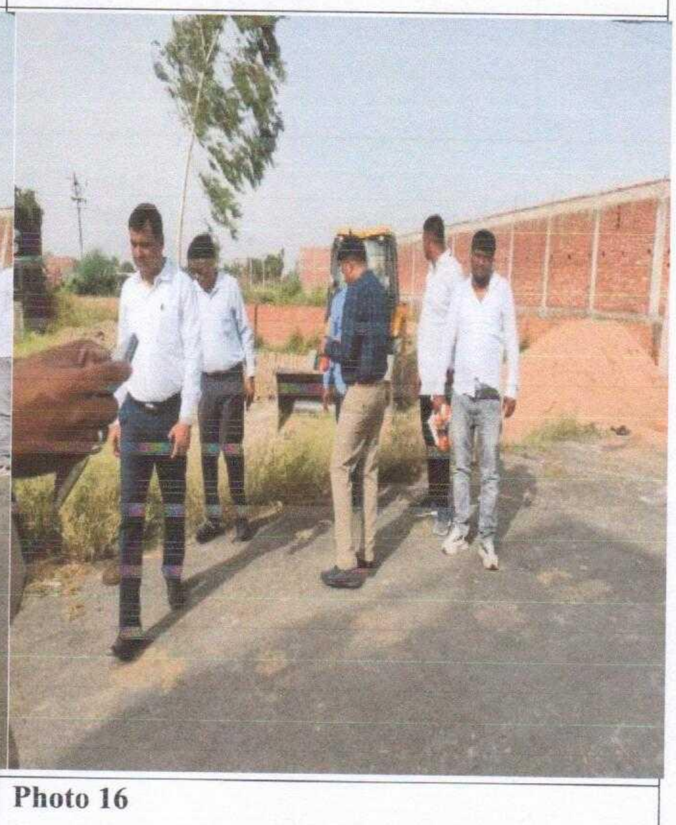

Photo 16

6- Inspection team:

Sr. No.	Name of Inspecting Officers	Designation	Signature
1	Bipin Kumar Mishra	Additional District Magistrate (E), Lucknow	Trasferred.
2	Dr. Shiv Om Singh	Member, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Lucknow	02.08.23
3	Vinod Kumar	Assistant Environmental Engineer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.	
4	Himanshu Sonkar	Scientific Assistant, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.	

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H98733 /सी–5/L/जल-444/23 दिनांक 01/08/2023
पंजीकृत

सेवा में,

सेवा में,
मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज,
जनपद–लखनऊ ।

यह कि मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ एक आवासीय परियोजना है, जो उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, गाटा संख्या–88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109ए, एवं 110, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। उक्त परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

यह कि आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है। आवासीय परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2671/रिट याचिका–124/2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया था। इकाई को बोर्ड के पत्रांक–एच 92498/सी–5/सहमति जल–444/23 दिनांक 24.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके संबंध में इकाई द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–810/सह0–3300/2023 दिनांक 05.07.2023 द्वारा इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.04.2023 की पुष्टि की जाती है–

"मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 29.03.2023 से दिनांक 12.06.2023 तक (कुल 76 दिन) के लिए रूपये 23437.50/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।"

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड–**UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

O/C

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H98734 /सी–5/L/जल-444/23 दिनांक 01/08/2023

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज,
जनपद–लखनऊ ।

यह कि मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ एक आवासीय परियोजना है, जो उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, गाटा संख्या–88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109ए, एवं 110, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। उक्त परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

यह कि आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है। आवासीय परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2671/रिट याचिका–124/2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया था। इकाई को बोर्ड के पत्रांक–एच 92498/सी–5/सहमति जल–444/23 दिनांक 24.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–896/2022 लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:–

"........*6. From the above, it is seen that the project is being developed in violation of Water and Air Acts. There is also nothing to show compliance of EIA Notification dated 14.09.2006. It is also not clear as to what is the source for water during the construction as well as during operation. Thus, there is need to forthwith stop the projects till compliance and fix accountability for past violations. Necessary remedial measures be taken to ensure proper sewerage network terminating to a STP, catering to the entire area and setting up of modular/decentralized STPs so as to prevent discharge of sewage into the drains. No further construction be allowed to take place and no further third-party rights created till further orders......* "

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33'ए' के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ द्वारा परियोजना में निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

..2

2. परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क स्थापित किया जाये एवं समुचित क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण तत्काल कराया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–896/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परियोजना में हो रहें निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश/निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या– H98732 /सी–5/ L/ज–445/23 दिनांक 31/08/2023
पंजीकृत

सेवा में,
मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज,
जनपद–लखनऊ ।

यह कि मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ एक आवासीय परियोजना है, जो उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, गाटा संख्या–1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। उक्त परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

यह कि आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है। आवासीय परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2671/रिट याचिका–124/2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया था। इकाई को बोर्ड के पत्रांक–एच 92497/सी–5/सहमति जल–445/23 दिनांक 24.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके संबंध में इकाई द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–812/सह0–3299/2023 दिनांक 05.07.2023 द्वारा इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.04.2023 की पुष्टि की जाती है–

"मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 29.03.2023 से दिनांक 12.06.2023 तक (कुल 76 दिन) के लिए रूपये 23437.50/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।"

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,81,250/– (रूपये सतरह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड–**UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H 98735 /सी–5/L/जल-445/23 दिनांक 01/08/2023

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज,
जनपद–लखनऊ ।

यह कि मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ एक आवासीय परियोजना है, जो उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, गाटा संख्या–1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। उक्त परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टेंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

यह कि आवासीय परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है, जोकि उक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है। आवासीय परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2671/रिट याचिका–124/2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया था। इकाई को बोर्ड के पत्रांक–एच 92497/सी–5/सहमति जल–445/23 दिनांक 24.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–896/2022 लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:–

"........*6. From the above, it is seen that the project is being developed in violation of Water and Air Acts. There is also nothing to show compliance of EIA Notification dated 14.09.2006. It is also not clear as to what is the source for water during the construction as well as during operation. Thus, there is need to forthwith stop the projects till compliance and fix accountability for past violations. Necessary remedial measures be taken to ensure proper sewerage network terminating to a STP, catering to the entire area and setting up of modular/decentralized STPs so as to prevent discharge of sewage into the drains. No further construction be allowed to take place and no further third-party rights created till further orders......*"

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33'ए' के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ द्वारा परियोजना में निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

..2

2. परियोजना के सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क स्थापित किया जाये एवं समुचित क्षमता का एस.टी.पी. का निर्माण तत्काल कराया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–896/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परियोजना में हो रहें निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश/निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H98736 /सी–5/113/OA No. 896/22/23 दिनांक 01/08/2023

सेवा में,

निदेशक,
भू–गर्भ जल विभाग,
9 वॉ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ।

विषयः इकाई मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महादेय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इकाई मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–2, गाटा संख्या–1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi, ग्राम–धावापुर, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। पूर्व में दिनांक 11.04.2023 को निरीक्षण के समय उक्त परियोजना में 400 प्लाटों के सापेक्ष 300 प्लाटों पर मकानों का निर्माण पाया गया। पुनः परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस. टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

उपरोक्त इकाई के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–896/2022 लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:–

"........6. From the above, it is seen that the project is being developed in violation of Water and Air Acts. There is also nothing to show compliance of EIA Notification dated 14.09.2006. It is also not clear as to what is the source for water during the construction as well as during operation. Thus, there is need to forthwith stop the projects till compliance and fix accountability for past violations. Necessary remedial measures be taken to ensure proper sewerage network terminating to a STP, catering to the entire area and setting up of modular/decentralized STPs so as to prevent discharge of sewage into the drains. No further construction be allowed to take place and no further third-party rights created till further orders......"

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 के आलोक में इकाई मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ द्वारा बिना अनुमति के भू–जल निष्कर्षण किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से राज्य बोर्ड को अवगत कराये, जिससे मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

Annexure-7

33

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H98789 /सी–5/113/04 No. 896/22/23 दिनांक 02/08/2023

सेवा में,

निदेशक,
भू–गर्भ जल विभाग,
9 वॉ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ।

विषयः इकाई मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महादेय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इकाई मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1, गाटा संख्या–88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109ए, एवं 110, ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ के नाम से प्लाटिंग कर आवासीय परियोजना विकसित की गयी है। पूर्व में दिनांक 11.04.2023 को निरीक्षण के समय उक्त परियोजना में 231 प्लाटों के सापेक्ष 70 प्लाटों पर मकानों का निर्माण पाया गया। पुनः परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.06.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार आवासीय परियोजना में निर्मित भवनों द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उनमें स्थापित सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता है। उक्त आवासीय परियोजना द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है।

उपरोक्त इकाई के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–896/2022 लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैः–

"........6. From the above, it is seen that the project is being developed in violation of Water and Air Acts. There is also nothing to show compliance of EIA Notification dated 14.09.2006. It is also not clear as to what is the source for water during the construction as well as during operation. Thus, there is need to forthwith stop the projects till compliance and fix accountability for past violations. Necessary remedial measures be taken to ensure proper sewerage network terminating to a STP, catering to the entire area and setting up of modular/decentralized STPs so as to prevent discharge of sewage into the drains. No further construction be allowed to take place and no further third-party rights created till further orders......"

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 के आलोक में इकाई मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियल्टी डेवलपर्स प्रा0लि0, फ्लैट नं0–2, सना पैलेस–2, अपो0 सहारागंज माल, हजरतगंज, जनपद–लखनऊ द्वारा बिना अनुमति के भू–जल निष्कर्षण किये जाने हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से राज्य बोर्ड को अवगत कराये, जिससे मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

34

Annexure-8

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 128/रि0 माचोडा-124/2023 दिनांक : 29/04/2023

सेवा में,

मैसर्स ए0के0 इन्फ्रा एण्ड रियलिटी डेवलपर्स प्रा0लि0,
फ्लैट न0–2, सना पैलेस–2, अपो0–सहारागंज माल, हजरतगंज,
लखनऊ।
द्वारा
मैसर्स ड्रीम ग्रीन सिटी फेज–1,
ग्राम–कसेरवा, तहसील–सरोजनी नगर,
जनपद–लखनऊ।

विषय:–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित संख्या–896/2022, लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/04/2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित संख्या–896/2022, लक्ष्मण बालयोगी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/04/2023 (छायाप्रति संलग्न) के मुख्य अंश निम्नवत् है–

"-------6. From the above, it is seen that the project is being developed in violation of Water and Air Acts. There is also nothing to show compliance of EIA Notification dated 14.09.2006. It is also not clear as to what is the source for water during the construction as well as during operation. Thus, there is need to forthwith stop the projects till compliance and fix accountability for past violations. Necessary remedial measures be taken to ensure proper sewerage network terminating to a STP, catering to the entire area and setting up of modular/decentralized STPs so as to prevent discharge of sewage into the drains. No further construction be allowed to 7 take place and no further third-party rights created till further orders. An action taken report may be filed jointly by SEIAA, UP, State PCB and District Magistrate, Lucknow ---------".

उपरोक्त आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पारित आदेश दिनांक 26/04/2023 के निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी इकाई के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही/माननीय एन0जी0टी0 द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,

29/04/23

(डॉ0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी